न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 64 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00068)
पंजीयन दिनांक– 08.10.2020
निर्णय दिनांक– 11.02.2021

श्री गणेशलाल पिता गौतम जी मीणा, निवासी रामपुरिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. प्रबंधक, बालिका आश्रम छात्रावास, रामपुरिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री पी.सी. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के आदेश क्रमांक / राजस्व / 2010 / 1408–11 दिनांक 11.06.2010

<u>निर्णय</u>

दिनांक–11.02.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / 2010 / 1408–11 दिनांक 11.06.2010 के विरूद्ध दिनांक 18.09.2017 को प्रार्थना पत्र बाबत भू आवंटन अनुपालना स्थगित रखाने अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 जाप्ता

दीवानी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 08.06.2020 को दर्ज की गई, तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 22.07.2020 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में निर्णित होने के उपरांत पुनः अपीलांट के आवेदन पर दिनांक 08.10.2020 को दर्ज किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रामपुरिया, पटवार हल्का रामपुरिया, तहसील पीपलखूंट की साबिक बंदोबस्ती आराजी नम्बर 133/3 क में से रकबा 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 332 मी रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि होने से भू आवंटन कमेटी प्रतापगढ़ ने मिसल क्रमांक 1324/76 दिनांक 22.06.1976 से कृषि भूमि के रूप में आवंटन आदेश अपीलांट के नाम पारित किया है और उक्त आवंटन आदेश का क्रियान्वन करते हुए इंतकाल संख्या 69 के जरिये दिनांक 22.01.1977 को उसकी अनुपालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने का आदेश भी किया जा चुका है। अपीलांट उक्त वैधानिक भू आवंटन से प्राप्त भूमि पर निरंतर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साबिक बंदोबस्ती आराजी नम्बर 133/3 मी के तहसील, प्रतापगढ़ क्षेत्र में हुई मौजूदा भू–प्रबंधीय कार्यवाही के दौरान मुर्तिब नवीन भू प्रबंधीय रेकार्ड में खसरा संख्या 748, 749, 750, 752 व अन्य कायम हुए है। उपरोक्त क्रम में अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि को उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम रामपुरिया की आराजी नम्बर 749 रकबा 00.67 हैक्टेयर भूमि बालिका आश्रम छात्रावास के लिये प्रस्तावित की गई थी। उक्त भूमि रा.उ.मा.वि. रामपुरिया के नाम दर्ज रेकार्ड होने से जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. रामपुरिया द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को अवगत कराया कि उक्त विद्यालय का भवन खण्ड़हर हो चुका है तथा विद्यालय नव निर्मित भवन में संचालित हो रहा है, यदि इस भवन में बालिका आश्रम छात्रावास संचालित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/2010/1408–11 दिनांक 11.06.2010 से

रा.उ.मा.वि. रामपुरिया के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 749 रकबा 00.67 हैक्टेयर भूमि को रा.उ.मा.वि. रामपुरिया के नाम से निरस्त की जाकर उक्त भूमि राजस्थान भू–राजस्व (Allotment of Unoccuoied Govt. Ag. Lands for the Constructing of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharmshalas & Other Buildings of Public Utility) नियम, 1963 के तहत बालिका आश्रम छात्रावास, रामपुरिया को 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.02.2021 को सुनी गई। न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार पीपलखूंट से तलब की गई, जो दिनांक 25.01.2021 से तहसीलदार पीपलखूंट द्वारा पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा पारित भू आवंटन आदेश न्याय, नियम एवं विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होकर निरस्तनीय है। राजस्व ग्राम रामपुरिया, पटवार हल्का रामपुरिया, तहसील पीपलखूंट की साबिक बंदोबस्ती आराजी नम्बर 133/3 क में से रकबा 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 332 मी रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि होने से भू आवंटन कमेटी प्रतापगढ़ ने मिसल क्रमांक 1324/76 दिनांक 22.06.1976 से कृषि भूमि के रूप में आवंटन आदेश अपीलांट के नाम पारित किया है और उक्त आवंटन आदेश का क्रियान्वन करते हुए इंतकाल संख्या 69 के जरिये दिनांक 22.01.1977 को उसकी उनुपालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने का आदेश भी किया जा चुका है। अपीलांट उक्त वैधानिक भू आवंटन से प्राप्त भूमि पर निरंतर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट को उक्त आवंटन आदेश की सनद का पट्टा भी जारी किया

हुआ मौजूद है। साबिक बंदोबस्ती आराजी नम्बर 133/3 मी के तहसील, प्रतापगढ़ क्षेत्र में हुई मौजूदा भू प्रबंधीय कार्यवाही के दौरान मुर्तिब नवीन भू प्रबंधीय रेकार्ड में खसरा नम्बर 748, 749, 750, 752 व अन्य कायम हुए है। भू प्रबंधीय रेकार्ड व उसके पश्चात बनने वाले नवीन रेकार्ड में इसे बिलानाम सरकारी जमीन दर्शा दी गयी है और जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर बिना किसी जांच पडताल किये एवं बिना मिसल कायम किये नवीन आराजी नम्बर 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर को उनके अनसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम दर्ज होना बताकर उसे निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि को (Allotment of Unoccuoied Govt. Ag. Lands for the Constructing of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharmshalas & Other Buildings of Public Utility) नियम, 1963 के तहत बालिका आश्रम छात्रावास, रामपुरिया को 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन किया जाने का आदेश प्रदान किया। जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को 1963 वाले अधिनियम में इस प्रकार आवंटन करने का वैधानिक अधिकार नहीं रहता है इसलिए यह आवंटन आदेश प्रथमतः निरस्त रहता है। जिला कलक्टर द्वारा मात्र उपखण्ड अधिकारी से रिपोर्ट मांगकर ही आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया अपने में समाहित करते हुए जो आदेश पारित किया है वह भी क्षेत्राधिकार के बाहर होकर निरस्तनीय है, क्योंकि भू आवंटन नियम 1970 के नियम के प्रतिकूल आचरण करते हुए बिना कमेटी गठित किये आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में किसी प्रकार की मिसल कायम कर समुचित भू आवंटन की प्रक्रिया अपनाने के उपरांत की अंतिम आदेश जिला कलक्टर प्रदान करने में सक्षम माने गये है। साबिक व नवीन बंदोबस्ती रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर भी साबिक खससरा संख्या 133/3 मीन एवं 332/2 सार्वजनिक मार्ग से जुडवा होकर ग्राम रामपुरिया का माध्यमिक विद्यालय जिसे ध्वस्त एवं खण्ड़हर स्थिति में होना बताया गया है, वह अपीलांट के आवंटितशुदा भूमि से अलग पश्चिम दिशा की ओर है और वर्तमान में भी इसी खण्डहर स्वरूप में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, अपीलांट वाला भूखण्ड जिसका रकबा उसी के खातेदारी के अन्य भूमि जुडवा होकर अलग से मौजूद है जिसपर लगभग 0.10 हैक्टेयर पर अपीलांट का रिहायशी मकान बना हुआ है। राजस्थान विद्युत में खाता संख्या 23010010 वर्ष 1999 से निरंतर कायम चला आ रहा है। जिससे

अपीलांट विद्युत उपयोग उपभोग घरेलू मद से करता चला आ रहा है। जिला कलक्टर ने मात्र नवीन भू प्रबंधीय रेकार्ड में किस्म बंजड दर्ज कर देने से खसरा संख्या 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर को कन्या जन आश्रम छात्रावास के नाम से दिनांक 26.05.2010 को अपील अनुशंषा दर्ज कर दी और इसी आधार पर बिना किसी जांच पडताल के यह अवैधानिक आदेा पारित कर दिया है स्वयं तहसीलदार अथवा अन्य राजस्व एजेन्सी से किसी भी प्रकार से अवस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं करके अपीलांट के नाम वर्ष 1972 में किए गये आवंटन वाली भूमि पर यह आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। कथित आवंटन को लगभग 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है और मौके पर इस नवीन खसरा संख्या 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर पर किसी प्रकार से जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा आवंटित कन्या जन छात्रावास वाला कोई निमार्ण नहीं हुआ है और पत्र सहवन की प्रक्रिया में अंकित किये गये माध्यमिक विद्यालय, रामपुरिया की ध्वस्त व खण्डहर नुमा भूखण्ड भी इसी आराजी नम्बर 749 में कभी अस्तित्व में ही नही रहा है व सार्वजनिक रास्ते से काफी दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में भौतिक अवस्थिति के प्रतिकूल किया गया भू आवंटन न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य रहता है। अतः उपरोक्त आवंटन निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्त रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम रामपुरिया के खसरा नम्बर 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि को (Allotment of Unoccuoied Govt. Ag. Lands for the Constructing of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharmshalas & Other Buildings of Public Utility) नियम, 1963 के तहत बालिका आश्रम छात्रावास, रामपुरिया को 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन किया गय है, सही होकर आवंटन विधिपूर्वक किया गया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी अपीलाण्ट को होना प्रमाणित नहीं है तथा गुणावगुण पर निर्णय करना एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत दफा 96 जा.दीवानी पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आराजी नं. 749 साबिक आराजी नं. 133/3 का कोई हिस्सा प्रथम दृष्टया हस्ब मिलान क्षेत्रफल शामिल होना प्रतीत होता है, तद्नुसार अपीलाण्ट हितबद्ध, आवश्यक एवं व्यथित पक्षकार प्रतीत होता है अतएव हम अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा देते हैं।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर उभय पक्ष के कथनोपकथन, लिखित व मौखिक अभिवचन पर विचार करने के साथ ही अपीलाण्ट के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है कि अपीलाण्ट स्वयं को ग्राम रामपुरिया की साबिक आराजी नं. 133/3 क में से रकबा 5 बीघा एवं आराजी नं. 332 मीन रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा का आवंटी बताता है तथा वह यह विवाद करता है कि साबिक आराजी नं. 133/3 मीन के वर्तमान नम्बर 748, 749, 750 व 752 कायम हुए हैं जिसमें आराजी नं. 749 रकबा 0.67 हैक्टेयर उसके साबिक आराजी नं. 133/3 से बनी है फिर भी उक्त आराजी को जिला कलक्टर ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 को आवंटित कर दी। यह भूमि अनाधिवासित नहीं थी तथा जिला कलक्टर को इस भूमि को आवंटन का अधिकार नहीं था। भूमि सार्वजनिक मार्ग पर है तथा इस भूमि में अपीलाण्ट के मकान भी बने हुए हैं, आदि कथन करते हुए अपील पेश की है।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दस्तावेजात के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1976 के अनुसार अपीलाण्ट को आराजी नं. 133/3 क रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित होना, नामान्तकरण संख्या 19 से स्पष्ट होता है। अपीलाण्ट द्वारा आराजी नं 332/2 मीन रकबा 4 बीघा संपूर्ण के आवंटन बाबत् कोई विवाद होना अपनी अपील में जाहिर नहीं किया है अतएव हम आराजी नं. 332/2 मीन रकबा 4 बीघा बाबत् कोई विवेचन करना उचित नहीं समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा आराजी नं. 133/3 क का नक्शा व 332/2 मीन का नक्शा भी प्रस्तुत किया है। दोनों आराजीयात पृथक–पृथक होकर दोनों किसी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, अतएवं आराजी

नं. 332/2 मीन को अपीलाण्ट ने जब विवादित ही नहीं माना है तो हम उस पर किसी प्रकार का विवेचन करना उचित नहीं समझते हैं अर्थात् प्रमुख विवाद साबिक आराजी नं. 133/3 क रकबा 5 बीघा अपीलाण्ट को आवंटित हुई, उसमें तथा वर्तमान आराजी नं. 749 के सहसंबंध जो कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 बालिका आश्रम छात्रावास रामपुरिया को आवंटित हुई, बाबत् ही विवाद है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा आराजी नं. 748, 749, 750 व 752 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है जिससे यह आराजीयात साबिक आराजी नं. 133/3 मीन से ही बनना स्पष्ट होता है। हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था एवं है कि साबिक आराजी नं. 133/3 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा जिसमें से अपीलाण्ट को 133/3 क रकबा 5 बीघा आवंटित हुआ था, क्या उसका कोई भाग अथवा सम्पूर्ण आराजी नं. 749 अपीलाण्ट को आवंटित आराजी नं. 133/3 क से बनी है अथवा नहीं ? अपीलाण्ट के उक्त आवेदन पर हमारे द्वारा तहसीलदार, पीपलखुंट से दिनांक 14.01.2021 से यह रिपोर्ट तलब की गई कि साबिक आराजी नं. 133/3 क रकबा 5 बीघा के हस्ब रेकर्ड मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा (दोनों प्रकार से) के वास्तव में क्या नम्बर बने हैं। तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांकः– 15 दिनांक 25.01.2021 से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि साबिक आराजी नं. 133/3क रकबा 5 बीघा के वर्तमान आराजी नं. 767 रकबा 0.55 हैक्टेयर (में से 0.42 हैक्टेयर), आराजी नं. 750 रकबा 0.09 हैक्टेयर बने हैं अर्थात् साबिक आराजी नं. 133/3 क में से आराजी नं. 767 रकबा 0.55 हैक्टेयर जो कि अपीलाण्ट के नाम ही दर्ज है, वह बनी है जिसे अपीलाण्ट ने अपनी अपील में अथवा दस्तावेजात में प्रकट ही नहीं किया है, जो खेदजनक है। साबिक आराजी नं. 133/3 क का रकबा 5 बीघा था। उक्त 5 बीघा के पीपलखूंट की साबिक जरीब 132 फीट के रूपान्तरण से एक बीघा का रूपान्तरण 0.16 हैक्टेयर बनता है अर्थात् साबिक आराजी नं. 133/3 क रकबा 5 बीघा का कुल रकबा भू–प्रबन्ध बाद रूपान्तरण से 0.80 हैक्टेयर बनता है जिसमें से आराजी नं. 767 रकबा 0.55 हैक्टेयर पूर्वतः अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। इसी प्रकार साबिक आराजी नं. 133/3 क का एक अन्य नम्बर 750 रकबा 0.09 हैक्टेयर बनता है जो बालाराम पिता गौतम के नाम दर्ज है (तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार)। यह आराजी नं. 750 इन्द्राज दुरूस्ती अथवा घोषणा का प्रकरण बनता है। आराजी नं. 750 पर इस न्यायालय द्वारा

विचार किया जाना उचित नहीं है। मूल प्रश्न आराजी नं. 749 जिसका रकबा 0.67 हैक्टैयर है, उसे अपीलाण्ट अपनी होना जाहिर करता है एवं रेस्पोंडेण्ट को किये गये आवंटन बाबत् अपनी आपत्ति व्यक्त करता है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह आराजी नं. 749 जिसका रकबा 0.67 हैक्टेयर है, उसका मौका नक्शा व तहसीलदार की रिपोर्ट से यह प्रकट आता है कि इस आराजी नं. 749 में अपीलाण्ट की साबिक आराजी नं. 133/3क का रकबा 0.29 हैक्टेयर शामिल है तथा इस 0.29 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट स्वयं काबिज है व शेष 0.09 हैक्टेयर पर उसी के भाई अर्जुन व कन्हैयालाल वगैरा के मकान बने हुए हैं अर्थात् आराजी नं. 749 में अपीलाण्ट की साबिक आराजी नं. 133/3क का 0.29 हैक्टेयर भूमि जो बनती है, उस पर वह काबिज भी है तथा उसके बाद उत्तर की ओर रास्ता होकर उसके बाद बालिका आश्रम छात्रावास बना हुआ है अर्थात् यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की साबिक आराजी नं. 133/3 क रकबा 5 बीघा यानि 0.80 हैक्टेयर के सन्दर्भ में उसे आराजी नं. 767 रकबा 0.55 हैक्टेयर जो उसके नाम है, आराजी नं. 750 रकबा 0.09 हैक्टेयर किसी अन्य के नाम दर्ज है, जिसके लिए अपीलाण्ट चाराजोही करने को स्वतंत्र है। हालांकि आराजी नं. 767 में साबिक आराजी नं. 133/3 क का सिर्फ 0.42 हैक्टेयर ही बनता है परन्तु अपीलाण्ट के नाम 0.55 हैक्टेयर भूमि पूर्व से दर्ज है अर्थात् अपीलाण्ट अब साबिक आराजी नं. 133/3 क 5 बीघा (0.80 हैक्टैयर) एवं 0.55 हैक्टेयर को कम करने के बाद 0.25 हैक्टेयर भूमि के लिए ही अधिकृत रहता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह रकबा आराजी नं. 749 में शामिल है तथा आराजी नं. 749 में छात्रावास के निर्माण के बाद शेष बची भूमि में से 0.29 हैक्टेयर में 0.20 हैक्टेयर पर पूर्वतः एवं पूर्णतः अपीलाण्ट काबिज है या पड़त है, अर्थात् आराजी नं. 749 में उसका साबिक आराजी नं. 133/3 क का कुछ रकबा शामिल अवश्य है परन्तु वर्तमान आराजी नं. 749 साबिक आराजी नं. 133/3 से बनी है जिसका रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा था अर्थात् साबिक आराजी नं. 133/3क में अपीलाण्ट को आवंटित 5 बीघा सम्पूर्ण आराजी, आराजी नं. 749 में शामिल रही हो, ऐसे तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा आराजी नं. 749 में बालिका आश्रम छात्रावास बना हुआ है एवं हस्ब तहसीलदार रिपोर्ट बन चुका है। उसके बाद रास्ते के बाद दक्षिण में

रास्ते एवं उसके बाद दक्षिण में अपीलाण्ट का व अन्य लोगों का कब्जा है जो अपीलाण्ट के साबिक 5 बीघा रकबे की पूर्ति करने को सक्षम है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बालिका आश्रम छात्रावास को आराजी नं. 749 का आवंटन पूर्व में विद्यालय को होने के बाद शिक्षा विभाग की अनापत्ति के कारण बालिका आश्रम छात्रावास को आवंटन हुआ है तथा जहां बालिका आश्रम छात्रावास बन चुका है, उस भूमि पर अपीलाण्ट का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग विधिपूर्ण एवंत तथ्यपरक नहीं है, अतएवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं साथ ही हम यह भी पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत इस न्यायालय में पेश किये गये दस्तावेजात के अनुसार आराजी नं. 749 के लिए घोषणात्मक वाद सहायक कलक्टर, पीपलखूंट के न्यायालय में पेश कर रखा है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी नं. 749 में निर्मित छात्रावास व रास्ते के बाद कतिपय भूमि पर अपीलाण्ट व अन्य काबिज है तथा उसे आवंटित भूमि का भी कुछ रकबा आराजी नं. 749 में शामिल है अर्थात् वर्तमान में आवंटित व काबिज आश्रम छात्रावास के आवंटन को हम इस स्तर पर निरस्त करना उपरोक्तानुसार उचित नहीं समझते हैं। अपीलाण्ट छात्रावास को आवंटित भूमि में से अवशेष भूमि पर तहसीलदार की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने घोषणात्मक वाद में चाराजोही कर आवश्यक इन्द्राज दुरूस्ती करवाने को स्वतंत्र है तथा हम उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर पीपलखूंट को भी यह उम्मीद करेंगे कि वे इस न्यायालय के निर्णय से पूर्वाग्रह लिये बिना विधिपूर्वक, तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट के घोषणात्मक वाद का निस्तारण करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के साथ किये गये समग्र विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज करते हैं।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर